भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2786 का उत्तर

वेल्लौर के लत्तेरी रेलवे स्टेशन पर समपार फाटक-57

2786. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विशेषकर तमिलनाडु में गैर-इंटरलॉक किए गए लेवल क्रॉसिंग पर हाल की घटनाओं के मद्देनजर, वेल्लौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में काटपाड़ी के निकट लत्तेरी रेलवे स्टेशन पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 57 (एलसी-57) लगातार रेलगाड़ियों की आवाजाही, बढ़ते वाहनों के आवागमन, लंबे समय तक फाटक बंद रहने और दुर्घटनाओं के जोखिम के कारण सुरक्षा जोखिम पैदा करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरओबी या आरयूबी का निर्माण करके एलसी-57 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एनएच-75 पर काटपाड़ी जंक्शन पर सड़क रेल पुल परियोजना, जिसमें आवंटित धनराशि, निविदा को अंतिम रूप देने, अपेक्षित पूर्णता तिथि और काटपाड़ी स्टेशन पुनर्विकास और वेल्लौर बाईपास परियोजनाओं के समेकन कार्य की स्थिति क्या है; और

(घ) रेल आधुनिकीकरण और सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल पर समपार के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों में प्राथमिकता निर्धारित जाती है और गाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता और

सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की अवधि की तुलना में 2014-25 (जून 2025 तक) के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (जून 2025 तक)	13,426 अदद (तमिलनाडु राज्य में 747 अदद सहित)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 1,00,860 करोड़ रुपए की लागत से 4,402 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें तमिलनाडु राज्य में 4,669 करोड़ रुपए की लागत से 235 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य शामिल हैं, जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

चेन्नै मंडल के अरक्कोणम-जोलारपेट्टई खंड पर लट्टेरी यार्ड में किमी 136/900-137/000 पर समपार संख्या 57, गेट सिगनल (इंटर-लॉक्ड) द्वारा संरक्षित है। इस समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को लागत साझाकरण के आधार पर स्वीकृत किया गया था। इसके बाद, दोनों ओर घनी आबादी वाले क्षेत्र के कारण इस ऊपरी सड़क पुल के पहुँच मार्गों का निर्माण संभव नहीं पाया गया। तदनुसार, यह कार्य शुरू नहीं किया गया।

बहरहाल, सीमित ऊँचाई वाले सबवे का निर्माण व्यवहार्य पाया गया है। तदनुसार, हाल ही में सबवे निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कटपाडी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य शुरू किया गया है। रेल सुरक्षा बल और स्काउट भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। प्रस्थान टर्मिनल की नींव, बहु-स्तरीय कार पार्किंग, पार्सल कार्यालय, स्टाफ क्वार्टरों का संरचनात्मक कार्य और रेल सुरक्षा बल बैरक व स्काऊट भवन का फिनिशिंग कार्य शुरू हो चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-75 पर कटपडी जंक्शन से होकर गुजरने वाले मौजूदा 2-लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के समानंतर एक अतिरिक्त 2-लेन वाले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू कर दिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को स्वीकृति दे दी गई है। डिज़ाइन का कार्य शुरू हो गया है। कटपडी जंक्शन स्टेशन के मास्टर प्लान में स्टेशन के दक्षिण की ओर मौजूदा बस स्टॉप के पास स्काईवॉक द्वारा प्रस्थान और आगमन टर्मिनल भवन के साथ ऊपरी सड़क पुल को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है।

वेल्लोर बाईपास परियोजना में गैर-समपार स्थानों पर दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण शामिल है। चेन्नै मंडल के अरक्कोणम-जोलारपेट्टई खंड में लत्तेरी और वृंजीपुरम स्टेशनों के बीच रेल किलोमीटर 137/600-700 पर एक ऊपरी सड़क पुल और तिरुचिरापल्ली खंड के विल्लुपुरम-काटपाडी खंड में कनियाम्बाडी और पेन्नाथुर स्टेशनों के बीच रेल किलोमीटर 140/800-900 पर दूसरा ऊपरी सड़क पुल बनाया जाएगा। ये कार्य तमिलनाडु सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग द्वारा एकल इकाई आधार पर निष्पादित किए जा रहे हैं। सामान्य व्यवस्था आरेख अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों सहित रेल परियोजना/ओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। **ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।**

*****